



भारत सरकार
कार्यालय, आयकर आयुक्त,
जयपुर-द्वितीय, जयपुर

स्थाई खाता संख्या:-AAFAS4671M

दिनांक— 21.09.2012

आदेशः—

विषयः—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12अअ के अधीन पंजीकरण—
स्वजन सोशियल डबलपमेन्ट एण्ड हेल्थ एजूकेशन समिति,
223, नागों की छावनी, खरबूजा मण्डी, एम.डी. रोड, जयपुर।

संस्था ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12अअ के तहत पंजीकरण हेतु आवेदन, निर्धारित प्रारूप, फार्म संख्या 10अ में भरकर दिनांक 30.03.2012 को इस कार्यालय में प्रस्तुत किया। निर्धारण अधिकारी की रिपोर्ट को देखते हुए और संस्था की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए इस संस्था को धारा 12अअ के तहत पंजीकरण हेतु उपयुक्त माना जाता है। अतः संस्था को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12अअ के तहत पंजीकृत किया जाता है। यह पंजीकरण निर्धारण वर्ष 2012–13 से मान्य होगा।

प्रार्थना पत्र को धारा 12अअ के तहत इस कार्यालय के प्रार्थना पत्र पंजिका में क्रमांक ५५/१ पर दर्ज कर लिया गया है।



—ह०—

(बी. पी. मीणा)

आयकर आयुक्त, जयपुर द्वितीय,
जयपुर।

क्र:आ0आ0 / जय- ॥ / आ0आ0(त0 एवं न्या) / 2012–13 / ७५३

दिनांक— 21.09.2012

प्रतिलिपि:

1. श्रीमान् अपर आयकर आयुक्त, खण्ड.-5, को सूचनार्थ ।
2. श्रीमान् सहायक आयकर आयुक्त, वृत्त-5, जयपुर को निर्देश के साथ कि यह सुनिश्चित किया जाए कि समिति/ट्रस्ट/संस्था द्वारा आयकर विवरणी दाखिल की जा रही है।
3. संबंधित ट्रस्ट /संस्था / समिति ।

(आर. के. सिंघल)

आयकर अधिकारी(त0 एवं न्या0)
कृते आयकर आयुक्त, जयपुर द्वितीय,
जयपुर।